71

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा
जिला रीवा (म.प्र.)

गोमती बाई पति श्री रामस्वयंवर द्विवेदी उम्र 77 वर्ष निवासी गुजरेड़ हाल मुकाम Rs. 101/-
शिवराजपुर तह. रामपुर नैकिन जिला सीधी म.प्र.

R 5194-II/16

.....................निगराकार

बनाम

1. सतीश कुमार मिश्रा तनय स्व. जगदीश प्रसाद मिश्रा उम्र 50 वर्ष
2. अनिल कुमार मिश्रा तनय स्व. जगदीश प्रसाद मिश्रा उम्र 40 वर्ष पेशा वकालत

   दोनो निवासी ग्राम शिवराजपुर तह. रामपुर नैकिन जिला सीधी म.प्र.
3. पुष्पलता पुत्री स्व. जगदीश प्रसाद मिश्रा उम्र 55 वर्ष पत्नी सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय निवासी महिया तह. हुजर जिला रीवा म.प्र.
4. ऊषा मिश्रा पुत्री स्व. जगदीश प्रसाद मिश्रा उम्र 35 वर्ष पत्नी अशोक कुमार मिश्र निवासी लौआ तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.

श्री ... द्वारा आज दिनांक 27-5-16 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

............................गैर निगराकारगण

न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय जिला सीधी द्वारा प्र. क्र. 17/अपील/11-12 मे दिनांक 28.07.15 को पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

मान्यवर,

प्रकरण संक्षेप मे निम्न है –

1. यह कि अपीलार्थी जगदीश प्रसाद मिश्र द्वारा अनुविभागीय अधिकारी चोरहटा तह. रामपुर नैकिन जिला सीधी के प्र.क्र. 28अ-74/10-11 मे पारित आदेश 25.02.11 के विरूद्ध धारा 44(1) म.प्र.भू.रा.सं. के अधीन प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

R-5194-II/16 रीवा-

11/8/17

पूर्व पेशी पर आवेदक के अभिभाषक को सुना जा चुका है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग,रीवा के न्यायालय में भूल से प्रस्तुत की गई निगरानी वापिस लेकर यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण कमांक 17/11–12 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28–7–15 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदकगण व्दारा व्यवहार संहिता आदेश 22 नियम 3 एंव 9 के अंतर्गत आवेदन अवधि विधान की धारा–5 के साथ प्रस्तुत किया गया है जो अपर कलेक्टर सीधी ने अंतरिम आदेश दिनांक 28–7–15 से स्वीकार किया है। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आदेश 22 नियम 3 एंव 9 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर उन्हें नहीं सुना गया। अपर कलेक्टर सीधी की आदेश पत्रिका दिनांक 28–7–15 के अवलोकन से परिलक्षित है कि इस दिन अपीलार्थी के अभिभाषक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे हैं एंव उत्तरवादीगण के अभिभाषक उपस्थित रहे हैं। अपर कलेक्टर के समक्ष दिनांक 28–7–15 को अपीलार्थी एंव उनके अभिभाषक सूचना उपरांत

इसलिये अनुपस्थित रहे हैं क्योंकि अपीलांट जगदीश प्रसाद की मृत्यु हो चुकी थी। अपर कलेक्टर सीधी ने अनावेदकगण अर्थात मृतक जगदीश के वारिसान का व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 22 नियम 3 एंव 9 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन इसलिये स्वीकार किया है क्योंकि अनावेदकगण ने इस आवेदन में एंव आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में बताया है कि उनके पिता जगदीशप्रसाद की मृत्यु हो चुकी है अपर कलेक्टर के समक्ष मामला चलने की जानकारी उन्हें यथासमय नहीं थी इसलिये विलम्ब क्षमा कर उन्हें पक्षकार बनाया जावे। अपर कलैक्टर के समक्ष अनावेदक के पक्षकार बन जाने से अपील प्रकरण के तथ्य एंव वस्तुस्थिति नहीं बदलती, जिसके कारण आवेदक को अपर कलेक्टर के समक्ष उपस्थित रहकर आगे की कार्यवाहियों में भाग लेकर अपना पक्ष रखना चाहिये। विचाराधीन निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य